

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 15.09.2020

हार्डवेयर व्यापारी से रंगदारी मांगने वाला रु0 10,000/- का ईनामिया अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बाबू उर्फ अनस कसाई उर्फ सहनवाज पुत्र नूरुल सलाम नि0 नयी बाजार कस्बा व थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 370 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-348/20, धारा 307.399.402 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

02. मु0अ0सं0-346/2020, धारा 386 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

03. मु0अ0सं0-263/2020, धारा 387.507 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.09.2020 को थाना करनैलगंज प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह मय पुलिस टीम के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर हार्डवेयर व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले ईनामिया / वांछित अभियुक्त को चौरी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया । अभियुक्त को थाना करनैलगंज में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया । पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रु0 10,000/- का ईनाम घोषित किया था ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह थाना करनैलगंज ।

02. उ0नि0 रणजीत यादव ।

03. उ0नि0 विजय कुमार यादव ।

04. का0 अंगद राय ।

05. का0 जागेश्वर गौड़ ।

06. का0 अबरार अहमद खाँ ।